<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 414

05 फरवरी, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र का संवर्धन

414. डॉ. एन. रामचन्द्रनः
श्री आर. के. भारती मोहनः
श्रीमती वी. सत्यबामाः
श्री पी. आर. सेनथिलनाथनः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) के अंतर्गत इस्पात कंपनियों को विकसित करने और उनका विविधिकरण करने और इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या घरेलू इस्पात उद्योग के समक्ष लौह अयस्क और प्रसंस्कृत इस्पात की भारी कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा घरेलू बाज़ार में उच्च गुणवत्तायुक्त लौह अयस्क एवं प्रसंस्कृत इस्पात की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु कौन से सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का घरेलू उद्योग के लिये स्क्रैप से प्रयुक्त एवं पुनः प्रसंस्कृत लौह के लिये कोई विशेष नीति अथवा मानदंड निर्धारित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार का क्या रुख है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): सरकार ने सेल के विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र (वीआईएसपी), सेलम इस्पात संयंत्र और अलॉय इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर के योजनाबद्ध विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया है ताकि प्रौद्योगिकी, नई प्रबंधन पद्धतियाँ, व्यापार क्षमता के अधिकतम विकास हेतु निधियाँ और इन संयंत्रों के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, विविधिकरण योजना के अंतर्गत सेल और आर्सिलर मित्तल ने भारत में संयुक्त उद्यम (जेवी) के माध्यम से एक ऑटोमोटिव इस्पात निर्माण सुविधा की स्थापना की संभावना का पता लगाने के लिए दिनांक 22 मई, 2015 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख): देश में लौह-अयस्क और प्रसंस्कृत इस्पात की कोई भारी कमी नहीं है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): जी नहीं।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता।

*****